"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124 ]      रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक एफ 147/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/563.—दिनांक 23 मई 2012 को नगर पंचायत केशकाल, छ.ग. के 06 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप सचिव.

**प्रकरण क्रमांक एफ-147/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010**

1. अनीता शेखर चन्द्राकर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.
2. गुलबानो पारेख, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.
3. पीलाबाई जैन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.
4. बिस्मिल्ला बेगम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.
5. रजिया खान, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.
6. सायराबानो कुरैशी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, केशकाल, छ. ग.

## आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 23 मई 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर के प्रतिवेदन दिनांक 3 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत केशकाल के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् दिनांक 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी को दिनांक 5 अप्रैल 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, पीलाबाई जैन, रजिया खान एवं सायराबानो को दिनांक 2 फरवरी 2011 को तथा अभ्यर्थी गुलबानो पारेख को दिनांक 3 फरवरी 2012 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी बिस्मिल्ला बेगम को उक्त कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण उन्हें पुनः कारण बताओ सूचना दिनांक 22 नवम्बर 2011 जारी की गई जो उन्हें दिनांक 1 फरवरी 2012 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी पीलाबाई जैन के द्वारा अपना जवाब दिनांक 4 सितम्बर 2010 को आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा विहित रीति से दिनांक 27 जनवरी 2010 को समयावधि में उप कोषालय अधिकारी केशकाल को समक्ष उपस्थित होकर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी पावती की छायाप्रति संलग्न की गई है. उनके जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने पत्र क्रमांक 63 दिनांक 17 फरवरी 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि पीलाबाई जैन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत न कर रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अ र्थी को सूचित किया जाना था कि निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, परन्तु रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्त कर अपने स्तर से दिनांक 16 फरवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा नियमानुसार आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में है. अतः अभ्यर्थी श्रीमती पीलाबाई जैन के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है.

4. अभ्यर्थी रजिया खान ने अपना जवाब दिनांक 11 फरवरी 2011 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने य उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित तिथि के पूर्व रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत केशकाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, जिसका प्रमाण

संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने पत्र क्रमांक 277 दिनांक 28 जुलाई 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी रजिया खान द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर केशकाल को प्रस्तुत कर दिया गया था. अभ्यावेदन में रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्त करने की पावती भी संलग्न की गई है. रिटर्निंग आफिसर केशकाल को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निर्वाचन व्यय लेखा सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया जाना था; परन्तु रिटर्निंग आफिसर केशकाल द्वारा ऐसा न कर रजिया खान से प्राप्त उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपने स्तर से दिनांक 16 फरवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में है. अतः अभ्यर्थी रजिया खान के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है. अन्य अभ्यर्थीगण अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, बिस्मिल्ला बेगम एवं सायराबानो कुरैशी को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थीगण अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, बिस्मिल्ला बेगम एवं सायराबानो कुरैशी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी पीलाबाई जैन एवं रजिया खान को समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 17 मई 2012 को उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. बयान में अभ्यर्थी पीलाबाई जैन ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित बातों को दोहराया. इसी तरह अभ्यर्थी रजिया खान ने भी बयान में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित बातों को दोहराया.

प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी ने निर्वाचन व्यय लेखा नियत तिथि 26 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत नहीं किया है यद्यपि परिगणना में नियत तिथि 27 जनवरी 2010 होती है. पुनः दिनांक 27 मार्च 2010 को संशोधित प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद की अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 16 फरवरी 2010 को दाखिल किया गया है. निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने अपने प्रतिवेदन में इसे 26 जनवरी 2010 उल्लेख किया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत केशकाल के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों पीलाबाई जैन एवं रजिया खान ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल न कर रिटर्निंग आफिसर/उप कोषालय अधिकारी केशकाल को प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी पीलाबाई जैन बयान में बताया कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग आफिसर के पास जमा कराया गया है. अभ्यर्थी रजिया खान ने अपने शपथपूर्वक बयान में दर्शाया है कि

उन्हें निर्वाचन व्यय लेखा ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश मिले थे; अत: उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर केशकाल को समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया था; परन्तु उनके द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि उनको यह निर्देश किसके द्वारा दिया गया था. निर्वाचन व्यय लेखा अन्तत: जिला निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 16 फरवरी 2010 को प्राप्त हुआ. यह विचारणीय है कि क्या रिटर्निंग आफिसर अथवा उप कोषालय अधिकारी को व्यय लेखा प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थीगण से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की विधिक अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है. इस सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के उपबन्ध अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है:

"7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना**— (1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा."

सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त आदेश की प्रति सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी गई थी. व्यय लेखा मय सुसंगत दस्तावेज के जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना था. लेकिन प्रश्नाधीन व्यय लेखा उप कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. उप कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत उक्त निर्वाचन व्यय लेखा वस्तुत: विलम्ब से 16 फरवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हुआ है. इससे अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती; क्योंकि निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को विहित समय पर प्राप्त नहीं हुआ. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थीगण अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों अनीता शेखर चन्द्राकर, गुलबानो पारेख, पीलाबाई जैन, बिस्मिल्ला खान, रजिया खान एवं सायराबानो कुरैशी को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया ज ता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 23 मई 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

**(पी. सी. दलेई)**
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.